

समझौता ज्ञापन

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई) तथा भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;

भारत गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

तथा

नीदरलैंड्स फूड्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी एथॉरिटी (एनवीडब्ल्यूए) तथा नीदरलैंड्स साम्राज्य के कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और प्रकृति मंत्रालय

स्वास्थ्य, कल्याण एवं खेल मंत्रालय

के बीच खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षकार" तथा व्यक्तिगत रूप से इस समझौता ज्ञापन के "पक्षकार" के रूप में संदर्भित (इसके बाद "समझौता ज्ञापन" के रूप में संदर्भित)

आगे के संपर्कों का विकास करने और सहयोग को गहरा करने की इच्छा से प्रेरित होकर तथा संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के मद्देनजर, हमने निम्नलिखित समझौते पर सहमति दी है :

पैराग्राफ 1: उद्देश्य

- क) सभी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों तथा प्रत्येक देश में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अधीन तथा प्रत्येक पक्षकार की क्षमता और उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के अंदर, समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने, बढ़ावा देने और विकसित करने का निर्णय लेते हैं।
- ख) इस समझौता ज्ञापन में शामिल किए गए मामलों के लिए संगत अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को विकसित करने वाले संगत अंतर्राष्ट्रीय निकायों में पक्षकारों के बीच सहयोग को मजबूत करना।

पैराग्राफ 2 : सहयोग के क्षेत्र

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संभावित सहयोग के क्षेत्र निम्नानुसार हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- i) खाद्य सुरक्षा और संबंधित जोखिम विश्लेषण;
- ii) मानक निर्धारण, निगरानी और निरीक्षण, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और रोगाणुरोधी पदार्थों पर ज्ञान साझा करना;
- iii) खाद्य जनित प्रकोपों और जांच, परीक्षण प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास पर ज्ञान साझा करना;
- iv) खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कृषि उपज और कृषि आधारित खाद्य उद्योगों के लिए खाद्य प्रसंस्करण;

10/10

- v) सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में गंभीर और तत्काल चिंता के मामलों में प्रत्यक्ष और समय पर अधिसूचना और सहयोग, या दोनों देशों के बीच खाद्य व्यापार से जुड़ी धोखाधड़ी की प्रथाएँ;
- vi) इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन के उपयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग।

पैराग्राफ 3: कार्यान्वयन

इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए, वर्तमान कार्य का मूल्यांकन करने और भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए कामकाजी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। ये बैठकें भारत और नीदरलैंड्स में बारी-बारी से आयोजित की जा सकती हैं और किसी संगत विषयगत कार्यशाला और/या स्वास्थ्य और/या कृषि पर भारत-नीदरलैंड्स संयुक्त कार्य समूहों की बैठकों के दौरान आयोजित की जा सकती हैं।

सहयोग की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान;
तकनीकी संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का संयुक्त आयोजन;
पक्षकारों के हितों की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय, निर्माण और कार्यान्वयन;
पक्षकारों द्वारा सहमत पारस्परिक सहयोग के अन्य रूप।

पैराग्राफ 4: सूचना का प्रकटीकरण और गोपनीयता

- क) जब कोई सूचना पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाती है, तो लिखित रूप में पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा कि इस सूचना का प्रकटन तीसरे पक्षकारों के समक्ष किस प्रकार किया जा सकता है।
- ख) जहां एक पक्षकार ("प्रदान करने वाला पक्षकार") इस समझौता ज्ञापन के अनुसार अन्य पक्षकार ("प्राप्तकर्ता पक्षकार") को जानकारी प्रदान करता है, और जानकारी को "गोपनीय" के रूप में नामित करता है, तो प्राप्तकर्ता पक्षकार ऐसी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा।
- ग) प्राप्तकर्ता पक्षकार साक्षा की गई सूचना का उपयोग केवल प्रदानकर्ता पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करेगा, तथा प्रदानकर्ता अन्यथा पक्षकार की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना उक्त सूचना का प्रकटीकरण या उपयोग नहीं करेगा, सिवाय उस सीमा तक जब तक कि इसका प्रकटीकरण या उपयोग प्राप्तकर्ता पक्षकार के घरेलू कानून का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो।

पैराग्राफ 5: वित्तीय व्यवस्था और मानव संसाधन

- क) दोनों पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सभी गतिविधियां धन और संसाधनों की उपलब्धता तथा संबंधित पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों के अधीन होंगी।
- ख) दोनों पक्षकार इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के छह (6) महीने के अंदर सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने का निर्णय लेंगे।

ग) प्रत्येक पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली अपनी लागतों को स्वयं वहन करेगा, जब तक कि पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से अन्यथा निर्णय न लिया जाए।

पैराग्राफ 6 : मतभेदों का निपटान करना

पक्षकार यह निर्णय लेते हैं कि इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से लेकर व्याख्या तक उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को परामर्श/चर्चा के माध्यम से सद्भावनापूर्वक सुलझाया जाएगा।

पैराग्राफ 7: संशोधन और समीक्षा

समझौता ज्ञापन में पक्षकारों की आपसी लिखित सहमति से संशोधन किया जा सकता है। उक्त पुनरीक्षण या संशोधन पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर की तिथि से या अन्यथा आपसी सहमति से प्रभावी होंगे। यह संशोधन इस समझौता ज्ञापन का अभिन्न अंग होगा।

पैराग्राफ 8 : संपर्क अधिकारी और संगठनात्मक परिवर्तन

प्रत्येक पक्षकार के लिए संपर्क अधिकारी अनुसूची 1 के अंतर्गत नामित किए गए हैं और वे इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संचार के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु हैं।

प्रत्येक पक्षकार अपनी अनुसूची 1 प्रविष्टियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में अन्य पक्षकारों को सूचित करेगा।

जब भी प्रत्येक पक्षकार के संगठन का नाम, संरचना या जवाबदेही में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो उसे अन्य पक्षकारों को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

इस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे प्रशासनिक पहलुओं के साथ अनुसूची-1 को अद्यतन करना, अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों में संशोधन नहीं माना जाएगा।

पैराग्राफ 9: वैधता, विस्तार और समाप्ति

क) यह समझौता ज्ञापन उस तारीख से लागू होगा जिस दिन इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और उसके बाद यह पांच (5) वर्षों के लिए वैध होगा और उसके बाद यह स्वचालित रूप से अन्य पांच (5) वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जब तक कि कोई भी पक्षकार समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के लिए लिखित में नोटिस नहीं देता है।

ख) यह समझौता ज्ञापन मार्च 2019 में एफएसएसएआई, ईआईसी और एनवीडब्ल्यूए के बीच हस्ताक्षरित पिछले समझौता ज्ञापन को प्रतिस्थापित करता है।

ग) इस समझौता ज्ञापन को किसी भी समय किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस तरह की समाप्ति की सूचना समाप्ति की तिथि से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले लिखित रूप में अन्य पक्षकारों को दी जाएगी।



घ) इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी विशिष्ट परियोजना या चल रहे कार्यक्रमों या गतिविधियों की वैधता या अवधि पर किसी भी समाप्ति का प्रभाव, पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा और समाप्ति के समय लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

lance

इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति से इस समझौता ज्ञापन के पैराग्राफ 4 के तहत सूचना और गोपनीयता के प्रकटीकरण के प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् अधिकृत होकर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

13 जून 2025 को द हेग, नीदरलैंड्स में हस्ताक्षरित, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में तीन-तीन मूल प्रतियों में। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, व्याख्या में किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

हस्ताक्षर: 	हस्ताक्षर: 
नाम : कुमार तुहिन नीदरलैंड्स में भारत के राजदूत	नाम : जी.जे.सी.एम. बाकर नीदरलैंड्स राज्य के महानिरीक्षक
हेतु : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण(एफएसएसआई) तथा भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; भारत गणराज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)	हेतु : नीदरलैंड्स फूड्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्टसेफ्टी एथॉरिटी (एनवीडब्ल्यूए) तथा नीदरलैंड्स साम्राज्य के कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और प्रकृति मंत्रालय स्वास्थ्य, कल्याण एवं खेल मंत्रालय

अनुसूची 1

संपर्क अधिकारी :

समझौता ज्ञापन में उल्लिखित संयुक्त कार्य और इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, पक्षकार निम्नलिखित संपर्क व्यक्तियों को नामित करते हैं :

1) एफएसएसआई में संपर्क बिंदु हैं : श्री मानवेश कुमार, निदेशक, या उनके प्रतिस्थापन (संपर्क के विवरण: पता: भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002, ईमेल: dir-imports@fssai.gov.in, टेलीफोन: 011-23667395)

2) ईआईसी में संपर्क बिंदु हैं : डॉ. जे. एस. रेड्डी, अपर निदेशक, ईआईसी या उनके प्रतिस्थापन (संपर्क के विवरण: पता: निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), द्वितीय तल, बी-प्लेट, ब्लॉक-1, वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, ईमेल: adnldir@eicindia.gov.in, टेलीफोन: 011-20815386/87/88)

3) एनवीडब्ल्यूए में संपर्क बिंदु हैं: श्री एडजार्ट ब्रुइनियर, वरिष्ठ सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या उनके प्रतिस्थापन।
(संपर्क के विवरण: बाह्य संबंध टीम, कैथरीजेनसिंगेल 59 | 3511 जीजी | यूट्रेक्ट, पोस्टबस 43006 | 3540 एए | यूट्रेक्ट, ई-मेल: InternatExpertise@nwa.nl, टेलीफोन: 0031 88 223 33 33)

Memorandum of Understanding

Between

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) the Ministry of Health and Family Welfare, of the Republic of India;

The Export Inspection Council (EIC) of the Ministry of Commerce and Industry, of the Republic of India

and

**The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA)
with governing Ministries**

**Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature
Ministry of Health, Welfare and Sport of the Kingdom of The Netherlands**

on

Cooperation in Food Safety

Hereafter collectively referred to as the "Parties" and individually as a "Party" to this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU")

Guided by the wish to develop further contacts and deepening cooperation and in view of jointly improving the food safety, have reached the following understanding:

Paragraph 1: OBJECTIVE

- a) The Parties, subject to the provisions of this MoU and the laws, rules, regulations and national policies in force in each country, and within the limits of each party's competence and available resources, decide to strengthen, promote and develop cooperation in food safety between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.
- b) Strengthen collaboration between the parties in relevant international bodies that develop international standards, guidelines and recommendations relevant to the matters covered by this MoU.

Paragraph 2: AREAS OF COOPERATION

The areas of potential cooperation under this MoU include, but are not limited to, the followings:

- i. Food safety and related risk analysis;

- ii. Standard setting, monitoring and surveillance, knowledge sharing on antimicrobial resistance, and antimicrobial substances;
- iii. Knowledge sharing on food borne outbreaks and investigations, testing laboratories, the development of national, regional, and international standards;
- iv. Food processing for agricultural produce and agro-based food industries in the context of food safety;
- v. Direct and timely notification of and cooperation in cases of serious and immediate concern with respect to public health, or fraudulent practices associated with food traded between the two countries;
- vi. The application of digital technologies including the use of electronic certification.

Paragraph 3: IMPLEMENTATION

In order to realize the activities, working meetings can be organized to evaluate the current work and plan for future activities. Meetings can be hosted alternately in India and the Netherlands and may coincide with a relevant thematic workshop and/or during the meetings of the India-Netherlands Joint Working Groups on Health and/or Agriculture.

The cooperation activities may include:

- i. Exchange of delegations of experts and scientists;
- ii. Joint organization of technical seminars, workshops, and conferences;
- iii. Coordination, formulation and implementation of joint research projects of interests to the Parties;
- iv. Any other forms of mutual cooperation agreed upon by the Parties.

Paragraph 4: DISCLOSURE OF INFORMATION AND CONFIDENTIALITY

- a) Where any information is jointly developed by the Parties, it will be mutually decided in writing on how such information may be disclosed to the third parties.
- b) Where a Party ("the providing Party") provides information to the other Party ("the receiving Party") in accordance with this MoU, and designates the information as "confidential", the receiving Party will maintain the confidentiality of such information.
- c) The receiving Party will use shared information only for the purposes specified by the providing Party, and will not otherwise disclose or use such information without the express written permission of the providing Party except to the extent that the disclosure or use is necessary to comply with the receiving Party's domestic law.

Paragraph 5: FINANCIAL ARRANGEMENTS AND HUMAN RESOURCES

- a) The Parties acknowledge that all activities under this MoU will be subjected to the availability of funds and resources and the laws, rules and regulations governing the respective Parties.
- b) The Parties decide to design a road map for cooperation, within six (6) months after signing this MoU.
- c) Each Party will bear its own costs which arise from the implementation of cooperative activities under this MoU unless otherwise mutually decided by the Parties.

Paragraph 6: SETTLEMENT OF DIFFERENCES

The Parties decide that any dispute arising from the implementation to interpretation of this MoU will be resolved amicably in good faith through consultation/discussions.

Paragraph 7: AMENDMENT AND REVIEW

The MoU may be amended by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments will come into effect upon the date of its signature by the Parties, or as otherwise mutually agreed. Such amendment will form as an integral part of this MoU.

Paragraph 8: LIAISON OFFICERS AND ORGANIZATIONAL CHANGES



- a) The Liaison officers for each Party are designated under Schedule 1 and they are the primary point of contact for communications under this MoU.
- b) Each Party shall notify the other Parties of any changes to their respective Schedule 1 entries.
- c) Each Party shall also notify in writing the other Parties when the name, structure or accountability of their organization substantively changes.
- d) Updating Schedule -1 with such administrative aspects under this Article does not otherwise constitute an amendment to the provisions of this MoU.

Paragraph 9: VALIDITY, EXTENSION, AND TERMINATION

- a) This MoU shall enter into force on the date on which it is signed, and thereafter it will be valid for five (5) years and thereafter it will be automatically extendable for another Five (5) years, unless either Party gives notice in writing to terminate the MoU.
- b) This MoU replaces the previous MoU signed between the Parties that is FSSAI, EIC, and NVWA in March 2019.
- c) This MoU may be terminated at any time by either of the Party. Such termination shall be communicated to the other Parties in writing at least 60 (sixty) days prior to the date of termination.
- d) The effect of any termination, on the validity or duration of any specific projects, or ongoing programs or activities under this MoU, shall be mutually decided by the Parties and specified in writing at the time of termination.
- e) Termination of this MoU will not affect the provisions of Disclosure of Information and Confidentiality under Paragraph 4 of this MoU.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this MoU.

Signed at The Hague, The Netherlands, on **13th June, 2025** in three originals each in English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

Signature: 	Signature: 
Name: Kumar Tuhin Ambassador of India to the Kingdom of The Netherlands	Name: G.J.C.M. Bakker Inspector-General of the Kingdom of The Netherlands
For The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) The Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and The Export Inspection Council (EIC) The Ministry of Commerce and Industry of the Republic of India	For The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) Ministry of Agriculture, Fisheries, Food Security and Nature & Ministry of Health, Welfare and Sports

Schedule 1

LIAISON OFFICERS:

To facilitate the joint work mentioned in the MoU and its implementation, the Parties designate the following contact persons:

1) FSSAI contact point is: Mr. Manvesh Kumar, Director, or his replacement (Contact details: address: Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002, email: dir-imports@fssai.gov.in, telephone: 011- 23667395)

2) EIC contact point is: Dr. J.S. Reddy, Additional Director, EIC or his replacement (Contact details: address: Export Inspection Council (EIC), 2nd Floor, B- Plate, Block-1, Commercial Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, email: addnldir@eicindia.gov.in , telephone: 011-20815386/87/88)

3) NVWA contact point is: Mr. Edzart Bruinier, Senior Advisor International Cooperation, or his replacement.
(Contact Details: Team External Relations, Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht, Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht, email: InternatExpertise@nvwa.nl telephone: 0031 88 223 33 33)